प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1178 सन 2021

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र स्व हुक्माराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लालचन्द पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. सुरेश कुमार पुत्र मोहरसिह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. माया पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. कमलेश पत्नी धर्मपाल मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. शकुन्तला मटोरिया पत्नी राकेश मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. इन्द्रा पत्नी लालचन्द मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
7. राकेश मटोरिया पुत्र लालचन्द मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
8. कविता मटोरिया पुत्री लालचन्द मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
9. सुमिता मटोरिया पुत्री लालचन्द मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
10. इन्द्रा पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी बृजलाल सिहाग जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर हनुमानगढ।
11. कृष्णादेवी पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी भालाराम जाखड जाति जाट साकिन चक 1 बीएचएम ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था तहसील सुरतगढ जिला हनुमानगढ।
12. दयाराम पुत्र कलावती पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी हेतराम भिढासरा जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
13. बलराम पुत्र कलावती पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी हेतराम भिढासरा जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14. रोशनी पुत्री कलावती पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
15. रजीया पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी हस्ताराम भिढासरा जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
16. विमला पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी चन्द्रपाल जाखड जाति जाट निवासी 1 बीएचएम ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था तहसील सुरतगढ जिला हनुमानगढ।
17. सन्तोष पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी भूपसिह सिहाग जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर व जिला हनुमानगढ।
18. सुमन पुत्री स्व मोहरसिह मटोरिया पत्नी सुनील गोदारा जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
19. नीतू पुत्री स्व मोहरसिह मटोरिया पत्नी सहदेव सिहाग जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. पूनम पुत्री स्व मोहरसिह मटोरिया पत्नी मुरली गोदारा जाति जाट निवासी चक 31 एनडीआर चौहीलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
21. सिलोचाना उर्फ सीलोदेवी पत्नी स्व मोहरसिह मटोरिया जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 टीकेएम के खाता संख्या 103/75 की कुल 6.1990हैक प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द, चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 102/96 की कुल 6.0720हैक प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते में रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 38/33 की कुल 1.6960हैक भूमि वादी के नाम एवं खाता संख्या 82/61 की कुल 1.7460हैक मोहरसिह के नाम दर्ज है रोही मौजा 1 टीकेएम के खाता संख्या 28/38 की कुल 1.0120हैक एवं खाता संख्या 29/30 की कुल 1.2650हैक भूमि लालचन्द के नाम से दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हुक्माराम पुत्र देदाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा हुक्माराम पुत्र देदाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र/पुत्रीया के नाम से दर्ज हुई है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि जो हुक्माराम के वारिसान जो वादी के पूर्वज है के नाम से दर्ज है वादी के दादा हुक्माराम पुत्र देदाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें सजरा खानदान अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ,8 ता 21 वादी की बहने/बुआ एव मुतक बहनो के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ,8 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पूर्वज हुक्माराम पुत्र देदाराम के देहान्त के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6, 8 ता 21 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 टीकेएम के खाता संख्या 103/75 की कुल 6.1990हैक प्रतिवादी संख्या 1 लालचन्द, चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 102/96 की कुल 6.0720हैक प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते में रोही मौजा चक 2 टीकेएम के खाता संख्या 38/33 की कुल 1.6960हैक भूमि वादी के नाम एवं खाता संख्या 82/61 की कुल 1.7460हैक मोहरसिह के नाम दर्ज है रोही मौजा 1 टीकेएम के खाता संख्या 28/38 की कुल 1.0120हैक एवं खाता संख्या 29/30 की कुल 1.2650हैक भूमि लालचन्द के नाम से दर्ज है

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि हुक्माराम पुत्र देदाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के हुक्माराम पुत्र देदाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा हुक्माराम पुत्र देदाराम के देहान्त होने के वाद हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार हुक्माराम की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ,8 ता 21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ,8 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 6 ,8 ता 21 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी धर्मपाल के पास रोही मौजा चक 2 टीकेएम के प0न0 222/403 (25) के किला न0 11/2 की 0.228हैक ,12 ता 19 की 2.0240हैक किला न0 20/2 की 0.2280हैक, 21/2 की 0.2270हैक , 22 ता 25/1.0120हैक प0न0 222/404(30) किला न0 1/2 की 0.2160हैक , किला न0 2/2 की 0.2400हैक , किला न0 3/2 की 0.2270हैक , किला न0 8 ,9 की 0.5060हैक , किला न0 10/2 की 0.2280हैक , किला न0 11/2 की 0.2280हैक , किला न0 12 ,19/0.5060हैक किला न0 20/2 की 0.2280हैक कुल 6.0850हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी राकेश मटोरिया के पास रोही मौजा चक 2 टीकेएम के प0न0 222/403 (25) किला न0 1/2 की 0.228हैक , 2 ता 9/2.0240हैक किला न0 10/2 की 0.2280हैक , प0न0 223/403(26) किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 की 1.5180हैक प0न0 222/404(30) के किला न0 6/0.2530 ,15/0.2410हैक (उतर दिशा) प0न0 223/404(29) किला न0 8 ता 10 की 0.7590हैक किला न0 11 ता 14 प्रत्येक 0.240हैक कुल 6.2110हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी सुरेश कुमार मटोरिया के पास रोही मौजा चक 1 टीकेएम के प0न0 222/400 (18) किला न0 4 ता 7/1.0120 हैक , 14 ,15/0.506हैक , प0न0 223/400(17) किला न0 1/1 ,1/2 ,10 ,11 /0.759हैक मय खाला कुल 2.2770हैक चक 2 टीकेएम के प0न0 223/403(26) किला न0 11 ता 13 , 18 ता 21 /1.7710हैक प0न0 222/404(30) किला न0 15 की 0.0120हैक (दक्षिणी दिशा) किला न0 16/0.2530 , किला न0 17/0.2410हैक (दक्षिणी दिशा) प0न0 223/404(29) किला न0 11 ता 14 प्रत्येक 0.0130हैक की 0.0520हैक किला न0 17 ता 20 की 1.0120हैक कुल 5.6180हैक भूमि रहेगी।

वादी धर्मपाल, प्रतिवादी राकेश व सुरेश की सयुक्त तौर से रोही मौजा चक 2 टीकेएम के प0न0 222/404 के किला न0 1/2 की 0.0120हैक किला न0 2 की 0.0130हैक (उतर दिशा) किला न0 3 की 0.0260हैक (उतर व पूर्व दिशा) किला न0 8 की 0.0130हैक (पूर्व दिशा) किला न0 17 की 0.120हैक (उतरी दिशा) कुल 0.076हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रषासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट– थालडका

सत्यमेव जयते

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र स्व हुक्माराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 लालचन्द पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. सुरेश कुमार पुत्र मोहरसिह जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. माया पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
4. कमलेश पत्नी धर्मपाल मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
5. शकुन्तला मटोरिया पत्नी राकेश मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
6. इन्द्रा पत्नी लालचन्द मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
7. राकेश मटोरिया पुत्र लालचन्द मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
8. कविता मटोरिया पुत्री लालचन्द मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
9. सुमिता मटोरिया पुत्री लालचन्द मटोरिया जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
10. इन्द्रा पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी बृजलाल सिहाग जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर हनुमानगढ।
11. कृष्णादेवी पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी भालाराम जाखड जाति जाट साकिन चक 1 बीएचएम ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था तहसील सुरतगढ जिला हनुमानगढ।
12. दयाराम पुत्र कलावती पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी हेतराम भिढासरा जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
13. बलराम पुत्र कलावती पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी हेतराम भिढासरा जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
14. रोशनी पुत्री कलावती पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी भोमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ।
15. रजीया पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी हस्ताराम भिढासरा जाति जाट निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
16. विमला पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी चन्द्रपाल जाखड जाति जाट निवासी 1 बीएचएम ग्राम पंचायत सरदारपुरा खर्था तहसील सुरतगढ जिला हनुमानगढ।
17. सन्तोष पुत्री स्व हुक्माराम मटोरिया पत्नी भूपसिह सिहाग जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर व जिला हनुमानगढ।
18. सुमन पुत्री स्व मोहरसिह मटोरिया पत्नी सुनील गोदारा जाति जाट निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
19. नीतू पुत्री स्व मोहरसिह मटोरिया पत्नी सहदेव सिहाग जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. पूनम पुत्री स्व मोहरसिह मटोरिया पत्नी मुरली गोदारा जाति जाट निवासी चक 31 एनडीआर चौहीलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
21. सिलोचाना उर्फ सीलोदेवी पत्नी स्व मोहरसिह मटोरिया जाति जाट साकिन थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1178 सन 2020 निर्णय दिनांक–21.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी धर्मपाल के पास रोही मौजा चक 2 टीकेएम के प0न0 222/403 (25) के किला न0 11/2 की 0.228हैक ,12 ता 19 की 2. 0240हैक किला न0 20/2 की 0.2280हैक, 21/2 की 0.2270हैक , 22 ता 25/1.0120हैक प0न0 222/404(30) किला न0 1/2 की 0.2160हैक , किला न0 2/2 की 0.2400हैक , किला न0 3/2 की 0.2270हैक , किला न0 8 ,9 की 0.5060हैक , किला न0 10/2 की 0.2280हैक , किला न0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

11/2 की 0.2280हैक , किला न0 12 ,19/0.5060हैक किला न0 20/2 की 0.2280हैक कुल 6.0850हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी राकेश मटोरिया के पास रोही मौजा चक 2 टीकेएम के प0न0 222/403 (25) किला न0 1/2 की 0.228हैक , 2 ता 9/2.0240हैक किला न0 10/2 की 0.2280हैक , प0न0 223/403(26) किला न0 1 ता 3 ,8 ता 10 की 1.5180हैक प0न0 222/404(30) के किला न0 6/0.2530 ,15/0.2410हैक (उतर दिशा) प0न0 223/404(29) किला न0 8 ता 10 की 0.7590हैक किला न0 11 ता 14 प्रत्येक 0.240हैक कुल 6.2110हैक भूमि रहेगी।

प्रतिवादी सुरेश कुमार मटोरिया के पास रोही मौजा चक 1 टीकेएम के प0न0 222/400 (18) किला न0 4 ता 7/1.0120 हैक , 14 ,15/0.506हैक , प0न0 223/400(17) किला न0 1/1 ,1/2 ,10 ,11 /0.759हैक मय खाला कुल 2.2770हैक चक 2 टीकेएम के प0न0 223/403(26) किला न0 11 ता 13 , 18 ता 21 /1.7710हैक प0न0 222/404(30) किला न0 15 की 0.0120हैक (दक्षिणी दिशा) किला न0 16/0.2530 , किला न0 17/0.2410हैक (दक्षिणी दिशा) प0न0 223/404(29) किला न0 11 ता 14 प्रत्येक 0.0130हैक की 0.0520हैक किला न0 17 ता 20 की 1.0120हैक कुल 5.6180हैक भूमि रहेगी।

वादी धर्मपाल, प्रतिवादी राकेश व सुरेश की सयुक्त तौर से रोही मौजा चक 2 टीकेएम के प0न0 222/404 के किला न0 1/2 की 0.0120हैक किला न0 2 की 0.0130हैक (उतर दिशा) किला न0 3 की 0.0260हैक (उतर व पूर्व दिशा) किला न0 8 की 0.0130हैक (पूर्व दिशा) किला न0 17 की 0.120हैक (उतरी दिशा) कुल 0.076हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट.....थालडका

सत्यमेव जयते